

12/10/21

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021  
कैम्प ग्राम पंचायत अक्षयपुर

Form No-|||

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

किरण गुकदमा 136 एल आर एक्ट

घोषणा

बनाम

सरकार

80

सन् 2021

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021/

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए
12/10/21	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार <u>अक्षयपुर</u> रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/122 दिनांक 12/10/21 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>अक्षयपुर</u> में प्रार्थी के नाम चक <u>7-PFB</u> की जमाबंदी सम्बत <u>2076-2079</u> के खाता सं. <u>25</u> में <u>SB3</u> <u>शा.दा. अक्षयपुर</u> के स्थान पर <u>SB1 शा.दा. अक्षयपुर</u> की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>अक्षयपुर</u> रायसिंहनगर की अनुशंषा के आधार पर वाके चक <u>7-PFB</u> तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्बत <u>2076-2079</u> के खाता सं. <u>25</u> में <u>SB3</u> <u>शा.दा.</u> <u>अक्षयपुर</u> के स्थान पर <u>SB1 शा.दा. अक्षयपुर</u> की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन-बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फौसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया। <u>रा.</u> (अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर <u>अक्षयपुर</u></p>	

